फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हीरालाल बनाम विपक्षी श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 69/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 03 02 2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे विपक्षी द्वारा जवाब पेश नही किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी के पिता किशनलाल पुत्र गोकल अहीर की मृत्यु के बाद उनका विरासत का नामान्तरण खोला गया जिसमे उनके बजाय उनके तीनों पुत्रों वरदीचन्द, नारायण लाल, हरलाल का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी का नाम हीरालाल है जो त्रुटि पुर्ण हरलाल लिखवा दिया गया जो त्रुटि दर त्रुटि चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार यह त्रुटि इसलिये हुई की प्रार्थी हीरालाल को घर पर हरलाल कहते थे जबकि प्रार्थी का विद्यालय रेकर्ड मे सही नाम हीरालाल पिता किशनलाल अहीर ही हैं साथ ही तमाम राजकीय दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता में सही नाम हीरालाल पिता किशनलाल अहीर ही हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि राजस्व रेकर्ड में त्रुटि पूर्ण नाम का अकन होने से प्रार्थी को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम हरलाल पिता किशनलाल अहीर के बजाय हीरालाल पिता किशनलाल अहीर किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, राजकीय विद्यालय का टी. सी फार्म, जनआधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम हीरालाल पिता किशनलाल अहीर अंकित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बैंक पास बुक की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम हीरालाल अहीर अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत भोपाखेडा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया की प्रार्थी हीरालाल अहीर पुत्र किशनलाल अहीर निवासी हमेरपुरा को आम बोलचाल में स्थानीय लोग हरलाल भी कहते हैं तथा उक्त दोनों नाम एक ही प्रार्थी के है जो हीरालाल अहीर सही है।

अतः उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का कूंथवास तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 73, 167, 72 व मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 155, 11, 143, 142, 144 व मौजा भोपाखेडा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 118, 152, 153 मे अंकित खातेदार हरलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के बजाय हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष ... रहे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल समार होकर नियम ... कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2025.05.19 14:33:28 IST
Reason: SelfAttested